राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–796/2025

हेमराज सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 13.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष तोमर, अति.अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज डाबी, उपवन संरक्षक बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सीएचसी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडी, धौलपुर (उप वन संरक्षक धौलपुर) में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का नाम हेमराज सिंह है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम हेमराज चौधरी अंकित करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 के विरूद्ध किया गया है।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान आलोच्य आदेश में सही अंकित किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी का नाम हेमराज सिंह की जगह हेमराज चौधरी अंकित किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में केवलमात्र लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानांतरण 2 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है तो हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा जो स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 जारी किया गया है, उसमें मत संख्या 1.1 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''1.1 प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।''

5. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सामान्य स्थिति में न्यूनतम दो वर्ष तक एक स्थान पद पदस्थापित रखा जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान रखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से पूर्व भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। उक्त स्थानान्तरण नीति में मत संख्या 6.2 में निम्न प्रकार से भी प्रावधान रखा गया है:–

> ''6.2 राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान मं रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।''

6. अतः उपरोक्त प्रावधान से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिना कारण बताये कार्मिक का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान अंकित है। ऐसे में राज्यहित में अपीलार्थी के स्थानान्तरण के

सम्बन्ध में क्या आवश्यकता रही है, इसके गुणावगुण पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्यहित में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)